न्यायमर्तिू एस.एस. संधावालिया., और न्यायमर्तिू आर.एन.लमत्ति के समक्

राज कुमार वमार्ि, अपीिार्थी

बनाम

हररयाणा राज्य और अन्य, प्रत्यर्थी

1978 की लसववि ररट याचिका संख्या 3642। 23 नवंबर, 1978।

पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपातकाि (ररयायत) नियम 1965-नियम 4 (ii) वररष्ठता के सबंध में िोक सेवाके िाभ की व्याख्या-िाहे वह िोक सवे ा में दसरीू या बाद की नियक्ततु पर उपिब्ध हो।

माना गया कक पजं ाब सरकार राष्ट्रीय आपातकाि (ररयायत) नियम, 1965 के नियम 4 के उप-नियम (i), (ii) और (iii) परस्पर अनन्य हैं और इन्हें स्वतंत्र रूप से पढा और व्याख्या ककया जाना िाहहए। इनमें से प्रत्येक उप-नियम एक िोक सेवक के कररयर में एक अिग क्स्र्थर्त से संबचं धत है, अर्थार्ित् वेतन वद्चधृ, वररष्ठता और सेवानिववत्तृ के बाद उसकी पेंशन के मद्दे।ु एक उप-नियम के प्रावधानों को दसरेू उप-नियम में पढने का कोई वारंट नहीं है। इसलिए, नियम 4 (ii) को स्वतंत्र रूप से पढने पर या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से दरू -दरू तक इसका आभास नहीं होता है कक वररष्ठता के सबंध

में सैन्य सवे ा का ि ाभ के वि पहिी र्नयक्ततु तक ही सीलमत है। जहााँ भी र्नयम-र्नमाि ताओं ने इस सैन्य सवे ा का ि ाभ के वि प्रर्थम र्नयक्ततु तक ही सीलमत रखना ि ाहा, वहााँ उन्होंने स्पष्ट रूप से ऐसा कहा है। वररष्ठता के संबंध में सैन्य सेवा के ि ाभ के सबं ंध में क ुछ भी नहीं कहा गया है, यह स्पष्ट है कक इसे के वि पहिी र्नयक्ततु के ि रण तक व्याख्या की प्रकिया द्वारा प्रर्तबंचधत या कम नहीं ककया जा सकता है।

इस प्रकार; र्नयमों के र्नयम 4 (ii) के तहत ि ोक सेवा का ि ाभ एक पवि ू सर्ै नक को उसकी दसरी ू या बाद की र्नयक्ततु पर परी ू तरह से अिग ि ोक सवे ा में उपिब्ध है। (पैरा 6, 7 और 10)

भारत के संववधान के अनच्छेद 226/227 के तहत याचिका, यह प्रार्थिना करते हुए

(i) प्रर्तवादी को हररयाणा लसववि सवे ा (कायकि ारी शाखा) में उसकी वररष्ठता के र्नधाि रण के लिए उसकी ि ोक सवे ा का ि ाभ देने के लिए प्रर्तवादी को र्नदेश देने वाि ी परमादेश की प्रकृर्त की एक ररट, जारी की जाएगी:

(ii) परमादेश की प्रकृर्त में एक ररट क्जसमें प्रर्तवादी को याचिकाकताि को अपेक्षक्षत ि ाभ देने का र्नदेश हदया गया है, तयोंकक वह हररयाणा राज्य पर ि ाग ू पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपातकाि ीन (ररयायत) र्नयम, 1965 के तहत ऐसे ि ाभ का हकदार है। .

(iii) कोई अन्य ररट, आदेश या र्नदेश क्जसे यह माननीय न्यायाि य मामिे की पररक्स्र्थर्तयों में उचित समझे, जारी ककया जाए:

(iv) याचिका का खिाि याचिकाकताि को दी जाए।

याचिकाकताि के वकीि, आर.एस. मोंचगया के सार्थ वकीि कु िदीप लसहं ।

प्रर्तवादी की ओर से नौबत लसहं, सीर्नयर डी.ए.जी., हररयाणा और बी.एस. मलिक, वकीि।

निर्णय

न्यायमर्तूि एसएस संधावालिया

1. तया पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपातकाििीन (ररयायत) र्नयम, 1965 के र्नयम 4(ii) के तहत वररष्ठता के सबं ंध में सैन्य सेवा का िाभ िोक सेवा में पहिी र्नयक्ततु पर के वि एक बार उपिब्ध है, यह महत्वपणूि प्रश्न है जो र्नधाििरण के लिए आता है। इस ररट याचिका को सीधे डडवीजन बेंि द्वारा सनवाईु के लिए स्वीकार कर लिया गया।

2. वर्ि 1962 में भारत-िीन यद्धु के दौरान याचिकाकताि ने खदु को सैन्य सेवा के लिए पेश ककया और आवश्यक प्रलशक्षण के बाद आपातकाििीन आयोग के लिए ियन होने पर उन्हें 3 मई, 1964 को अलभयान हदया गया। बाद में उन्हें भारत-पाककस्तान में सवे ा करने का अवसर लमिा। 1965 का यद्धु और अंततः 1 अगस्त, 1969 को सैन्य सवे ा से मततु कर हदया गया। इसलिए, याचिकाकताि को तरंतु कु छ रोजगार तिाशने के लिए मजबरू होना पडा और उसने आवेदन ककया और भतपू वूि सैर्नकों के लिए आरक्षक्षत पद के

खखिाफ उप अधीक्षक जेि के रूप में िनाु गया। उपयततिु क्षमता में सेवा करते हुए याचिकाकताि ने वर्ि 1973 में हररयाणा लसववि सेवा (कायिकारी शाखा) परीक्षा में भाग लिया और कफर से भतपू विू सर्ै नकों के लिए आरक्षक्षत लिए आरक्षक्षत ररतत पद के खखिाफ प्रर्तस्पधाि की। याचिकाकताि को उतत आरक्षक्षत ररक्तत के ववरुद्ध हररयाणा लसजववि सेवा में िियर्नत और र्नयततु ककया गया र्था और जिाईु , 1974 में इस पद पर शालमि हो गया। वह उसी कै डर में सेवा करना जारी रखता है।

3. यद्धु में संकट के समय सैन्य सेवा के लिए खदु को पेश करने वाििों से ककए गए वादों को पराू करने के लिए , सरकार ने भारत के संववधान के अनच्छेदु 309 के तहत वैधार्नक र्नयम बनाए, क्जन्हें पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपात्काििीन (ररयायत) र्नयम, 1965 (इसके बाद इसे र्नयम कहा जाएगा) कहा जाता है। इसके र्नयम 4 (एफआई) के तहत याचिकाकताि ने हररयाणा लसववि सवे ा (कायिकारी शाखा) में अपनी वररष्ठता के र्नधाििरण के लिए अपनी सैन्य सेवा के ििाभ का दावा ककया और कई अभ्यावेदन हदए, क्जन पर प्रर्तवादी-राज्य द्वारा ध्यान नहीं हदया गया। इसके बाद उन्होंने लसववि ररट याचिका संख्या को प्रार्थलमकता दी। 1978 का 219 क्जसे प्रर्तवादी-राज्य के रुख के कारण समय से पहिे खाररज कर हदया गया र्था कक उसकी वररष्ठता के संबंध में याचिकाकताि के अभ्यावेदन अभी भी ववचाराधीन र्थे और उनकी ओर से यह विन हदया गया र्था कक इन पर तीन महीने के भीतर र्नणिय लिया जाएगा। हाििाकाँ क, 18 अप्रैि, 1978 को, अनिग्नकु पी. 1 के अनसारु , याचिकाकताि का प्रर्तर्नचधत्व मख्यु रूप से इस आधार पर खाररज कर हदया गया र्था कक उसे पहिे जेि ववभाग में पद पर शालमि होने पर वररष्ठता के लिए सैन्य सेवा का ििाभ हदया गया र्था। और इसलिए, उसे दोबारा वही ििाभ नहीं हदया जा सकता। प्रर्तवादी की ओर से, उस स्तर पर और वतिमान ररट याचिका का ववरोध करते समय, स्पष्ट्ट रूप से यह रुख अपनाया गया है कक अनमोहदतु सैन्य सेवा की अवचध को के वि वेतन वद्चधृ , वररष्ठता और पेंशन के तीनों मामिों के सबं ंध में पहिी र्नयक्ततु पर ही ध्यान में रखा जाना िाहहए, न कक ििोक सवे ा में बाद की र्नयक्ततु पर। 4. यह स्पष्ट्ट है कक मद्दोंु को र्नयम 4(ii) की वास्तववक व्याख्या पर मोडना िाहहए और इसलिए, परेू र्नयम को पढना आवश्यक है-

5. वेतन वद्चधृ , वररष्ठता और पेंशन सैन्य सवे ा की अवचध को वेतन वद्चधृ , वररष्ठता और पेंशन के लिए र्नम्नानसारु चगना जाएगा:-

(I) वेतन वद्चधृ : ककसी व्यक्तत द्वारा "ककसी भी सेवा या पद पर र्नयक्ततु के लिए र्नधाि ररत न्यनतमू आय ु प्राप्त करने के बाद" सैन्य सेवा पर बबताई गई अवचध, क्जस पर उसे र्नयततु ककया गया है, वेतन वद्चधृ के लिए चगना जाएगा, जहां ऐसी कोई न्यनतमू आयु र्नधाि ररत नहीं है, न्यनतमू आय ु होगी जैसा कक पंजाब लसवव सवे ा र्नयम, खंड के र्नयम 3.9 और 10 और 3,11 में र्नधाि ररत ककया गया है। द्ववतीय. हाि ाकाँ क, यह ररयायत के वि पहिी र्नयक्ततु पर ही स्वीकायि होगी ।

(II) वररष्ठता: खंड (i) में उक्लिखखत सैन्य सेवा की अवचध को सैन्य सेवा प्रदान करने वाि े व्यक्तत की वररष्ठता र्नधारि रत करने के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाएगा, बशते कक वह व्यक्तत क्जसने उप-र्नयम (3) के तहत ररयायतों का ि ाभ उठाया हो।) र्नयम, 3 के इस खडं के तहत ररयायत के हकदार नहीं होंगे (पत्र ि मांक

2259-2 एफएस ॥- 76/7273, हदनांक 22 माि ि 1976)।

(III) पेंशन: खडं (i) में उक्लिखखत सैन्य सेवा की अवचध को के वि र्नम्नलिखखत शतों के अधीन सरकार के तहत स्थायी सेवाओं या पदों पर र्नयक्ततयोंु के मामि में पेंशन में चगना जाएगा।

(a) संबंचधत व्यक्तत को संबचं धत सैन्य सेवा के सबं ंध में सैन्य र्नयमों के तहत पेंशन अक्जित नहीं करनी िाहहए;

(b) रक्षा अचधकाररयों द्वारा सैन्य सवे ा के संबंध में भगतानु ककया गया कोई भी बोनस या ग्रेच्यटीु राज्य सरकार को वापस करना होगा;

(c) सैन्य सेवा से मक्ततु की तारीख और सरकार के अधीन ककसी वररष्ठ पद पर र्नयक्ततु की तारीख के बीि की अवचध, यहद कोई हो, को चगना जाएगा पेंशन बशते कक ऐसी अवचध एक वर्ि से अचधक न हो। सरकार के आदेशों के तहत असाधारण मामिों में एक वर्ि से अचधक िेककन तीन वर्ि से अचधक की ककसी भी अवचध को पेंशन के लिए चगनने की अनमर्तु दी जा सकती है।

6. अब याचिकाकताि की ओर से महत्वपणू तकि यह है कक उपरोतत र्नयम 4 के उप-र्नयम (i), (ii) और (iii) परस्पर अनन्य हैं और इन्हें स्वतंत्र रूप से पढा और व्याख्या ककया जाना िाहहए। यह सही तकि हदया गया है कक इनमें से प्रत्येक उप-र्नयम एक िोक सेवक के कररयर में एक अिग क्स्र्थर्त से संबंचधत है, अर्थाित् वेतन वद्चधृ , वररष्ठता और सेवार्नववत्तृ के बाद उसकी पेंशन के मद्दे।ु यह प्रशंसनीय रूप से प्रस्ततु ककया गया र्था कक एक उप-र्नयम के प्रावधानों को दसरेू उप-र्नयम में पढने का कोई वारंट नहीं र्था। इसलिए, र्नयम 4(एि) को स्वतंत्र रूप से पढने पर स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से दरू -दरू तक इसका आभास नहीं होता है कक वररष्ठता के संबंध में सैन्य सेवा का िाभ केवि पहिी र्नयक्ततु तक ही सीलमत है।

7. कफर यह ध्यान देने योग्य है कक जहां भी र्नयम बनाने वािों ने इस सैन्य सेवा का िाभ केवि पहिी र्नयक्ततु तक ही सीलमत रखना िाहा, उन्होंने स्पष्ट रूप से ऐसा कहा है।

स्पष्ट रूप से पविवती़ उप-र्नयम (i) का संदभि मांगा गया है, जो बबना ककसी अर्नक्श्ित शतों के यह बताता है कक सैन्य सेवा की अवचध से होने वािी वेतन वद्चधृ के वि पहिी र्नयक्ततु पर ही स्वीकायि होगी। उपर्नयम (ii) में वररष्ठता के सबं धं में दरू -दरू तक ऐसी कोई योग्यता नजर नहीं आती। इसलिए, वकीि यह तकि देने में दृढ आधार पर र्थे कक र्नयमों के िेखक मामिे के इस पहिू से अवगत र्थे और जब उन्होंने स्पष्ट रूप से के वि पहिी र्नयक्ततु पर वेतन वद्चधृ के संबंध में सैन्य सेवा के िाभ को सीलमत कर हदया, तो ववस्तार करने का कोई कारण नहीं है उप-र्नयम (ii) और (iii) के समान ही, जहां ऐसी ककसी शब्दाविी का उपयोग नहीं ककया गया है। इस संदभि में उप-र्नयम (ii) में पेश ककए गए संशोधन के आसपास एक सार्थिक तकि भी बनाया गया है, - पत्र संख्या 2258-2 एफएस 11-76/7273, हदनांक 22 माचि, 1976 द्वारा। शब्दों को जोडकर इस संशोधन द्वारा यह र्नधािररत ककया गया है कक क्जन िोगों ने र्नयम 3 के उप-र्नयम (3) के तहत योग्यता के संबंध में िाभ उठाया र्था, वे कफर से इसके तहत वररष्ठता के िाभ के हकदार नहीं होंगे। इसलिए, श्री कु िदीप लसहं यह तकि देने में सक्षम र्थे कक जहां भी र्नयमों के र्नमाििता सैन्य सेवा के िाभ को सीलमत या बाहर करना चाहते र्थे, वहां वे शतों ने ऐसा कहा र्था. वररष्ठता के संबंध में सैन्य सेवा के िाभ के संबंध में कु छ भी नहीं कहा गया है, यह स्पष्ट है कक इसे के वि पहिी र्नयक्ततु के चरण तक व्याख्या की प्रकिया द्वारा प्रर्तबचं धत या कम नहीं ककया जा सकता है।

8. तब कहा गया र्था कक यहद र्नयम बनाने वािों की मशं ा यह र्थी कक वेतन वद्चधृ , वररष्ठता और पेंशन तीनों पहिओंु के संबंध में सैन्य सेवा का िाभ के वि पहिी र्नयक्ततु पर ही लमिेगा, तो स्पष्ट रूप से इसका उल्िेख ककया गया होगा र्नयम 4 के शरुआतीु भाग में और व्यक्ततगत रूप से नहीं* जैसा कक उसके उप-र्नयम (i) में है।" उस क्स्र्थर्त में र्नयम 4 को स्पष्ट रूप से कहा जाएगा-

“वेतन वद्चधृ , वररष्ठता और पेंशन; सैन्य सेवा की अवचध वेतन वद्चधृ , वररष्ठता और पेंशन के लिए के वि प्रर्थम नयक्ततु पर नम्नानसारु चगनी जाएगी:-...”

हाि◌ाकाँ क, नयम-साचर्थयों ने ड्राफ्ट्समैनलशप के इस स्पष्ट लसद्धांत का सहारा नहीं लिया है, यह आवश्यक रूप से इस प्रकार है कक पहिी नयक्ततु के संबंध में सीमा जानबझकरू मिू रूप से उप-नयम (i) में वेतन वद्चधृ और बाद में योग्यता के संबंध में सीलमत र्थीं। 22 माि◌ि,
1976 का संशोधन, उप नयम पर पहिे ही ध्यान हदया जा ि◌का◌ु है;

9. नयम 4 (ii) की स्पष्ट भार◌् ा और व्याख्या के लसद्धांत अिग; मझ्ु ऐसा प्रतीत होता है कक पहिी नयक्ततु पर सैन्य सेवा के ि◌ाभ को के वि वेतन वद्चधृ तक ही सीलमत रखने का एक स्पष्ट औचित्य मौजदू है, जबकक इसे वररष्ठता के दायरे में भी नहीं बढाया गया है। ll यह स्पष्ट है कक वेतन वद्चधृ एक मौहिक ि◌ाभ है जो एक बार पविू सैनकों द्वारा प्राप्त कर लिया गया र्था, नयम के नमाि◌ता ऐसा कर सकते हैं; खैर, मैंने इसे के वि एक ि◌रण तक ही सीलमत रखना उचित समझा है, अर्थाि◌त् पहिी नयक्ततु तक। एक बार जमा ककया गया यह मौहिक ि◌ाभ न तो जब्त ककया जाएगा और न ही वापस ककया जाएगा। हाि◌ा◌ाँकक, जैसा कक वतिमान मामिा उजागर करता है, यह स्पष्ट है कक ककसी सेवा में पहिी नयक्ततु पर प्राप्त वररष्ठता का ि◌ाभ परी◌ू तरह से समाप्त हो जाएगा जब पविू सैनक नई सेवा में ि◌ि◌ा जाएगा। परी◌ू तरह से. याचिकाकताि 1970 में जेि ववभाग में शालमि हुआ, और मक्श्कु से तीन साि बाद उसका ि◌यन हररयाणा लसववि सेवा (कायिकारी शाखा) में हो गया। उत्तरदाताओं के तकि पर, इससे वह वररष्ठता के उद्देश्य से अपनी सैन्य सेवा का ि◌ाभ परी◌ू तरह से खो देगा तयोंकक इसे स्पष्ट रूप से एक सवे ◌ा से दसरी◌ू सेवा में नहीं ि◌े जाया जा सकता है। इसलिए, यहद उसे बाद की सवे ◌ा में कोई अर्तररतत वररष्ठता की अनमर्तु नहीं दी जाती है, तो इस संदभि में सैन्य सेवा का कचर्थत ि◌ाभ भ्रामक हो जाएगा। बडे पररप्रेक्ष्य में

यह भी ध्यान देने की मांग करता है कक एक पवि सर्ै नक को ररहाई के तरंतु बाद अर्नवायि रूप से साविजर्नक रोजगार की तिाश करनी ि्ाहहए। यहद वररष्ठता का र्नयम पहिी र्नयक्ततु तक ही सीलमत है, तो यह स्पष्ट रूप से कहठनाई का कारण बनेगा तयोंकक पवि सर्ै नक ने इसका ि्ाभ उठाया है। एक बार अपेक्षाकृत कम रैंक की सवे ा के लिए इसे बाद में हमेशा के लिए इसका ि्ाभ उठाने से वचं ित कर हदया जाएगा। मैं क्जस दृक्ष्टकोण को अपनाने के लिए इच्छु क हूं, उसे हरभजन लसहं बनाम पजं ाब राज्य में पणि पीठ द्वारा की गई र्नम्नलिखखत हटप्पखणयों से काफी समर्थिन लमिता है। और, दसरा (1), क्जसमें बेंि पवि सर्ै नकों के पक्ष में एक कानून पर भी ववािर कर रही थी-

"हमने जो ववािर ककया है, उसमें हमारे लिए र्नयम 3 (iii), (सीसी), (ii) (बी) के अचधकार के प्रश्न पर जाना अनावश्यक है, हम, हाि्ांकक, जोडना ि्ाहेंगे यह र्नयम हमारे हदमाग में अनचितु प्रतीत होता है। ररहा ककए गए सशस्त्र बि कलमियों के लिए आरक्षण का कोटा र्नधारि रत करने वाि्े ये र्नयम के वि सीलमत अवचध के लिए ि्ाग हैं। यहद उस अवचध के दौरान कोई व्यक्तत र्नयक्ततु के लिए अन्यर्था पात्र है, तो हमें इस आधार पर उसे र्नयक्ततु से बाहर करना कोई न्याय नहीं हदखता कक उसने इस बीि कोई अन्य रोजगार स्वीकार कर लिया है। ऐसा ि्गता है जैसे कक ररहा ककए गए सशस्त्र बि कालमकि ों की श्रेणी से सबं ंचधत कोई व्यक्तत ककसी वररष्ठ पद के लिए पात्रता खोने के ददि के कारण ककसी वररष्ठ पद को स्वीकार करता है। यहद सशस्त्र बिों से उसकी ररहाई के तरंतु बाद कोई वररष्ठ पद उपिब्ध नहीं है, तो उसे ऐसा पद उपिब्ध होने तक इंतजार करना होगा और यह कभी भी उपिब्ध नहीं हो सकता है। इस बीि, उसे अपने शरीर और आत्मा को एक सार्थ रखने के लिए भी एक र्नम्न पद स्वीकार करने से रोक हदया जाता है।

र्नक्श्ित रूप से, इस तरह हम उन िोगों का कजि नहीं िकातु हैं जो हमारे लिए आसानी से अपना खनू बहाते हैं।" (1) 1977(2) एसएिआर 180।

10. राज्य के लिए श्री नौबत लसहं और र्नजी उत्तरदाताओं के लिए श्री बीएस मलिक के प्रर्त र्नष्ट्पक्षता में, मैं देख सकता हूं कक उन्होंने यह तकि देने की कोलशश की थी कक र्नयमों में एक अंतर प्रतीत होता है क्जसे सरकारी र्नदेशों द्वारा पयाि्प्त रूप से भरा गया है। अनिग्नकु आर.

1/1, हदनांक 18 मई, 1975 का संदभि हदया गया थी, क्जसमें प्रर्तवादी की ओर से एक व्याख्या की मांग की गई थी-कहा गया थी कक वररष्ठता का ि्ाभ के वि पहिी र्नयक्ततु पर उपिब्ध थी। अचधकाररयों द्वारा. इन आधारों पर संत राम शमाि बनाम राजस्थान राज्य (2) पर भरोसा ककया गया थी, मैं इस संबंध में ककसी भी योग्यता का पता ि्गाने में असमर्थि हूं। सबसे पहि, अनबंधु आर. 1/आई को संभवतः भारत के सवं वधान द्वारा प्रदत्त कायिकारी शक्तत के अनसरणु में कायकि ारी द्वारा जारी एक र्नदेश नहीं कहा जा सकता है। प्रर्थम दृष्ट्या, यह र्नयम 4 (ii) के संदभि में भी संदलभित नहीं है और वास्तव में एक अस्पष्ट सं्ि्ार का संदभि है; हररयाणा सरकार के पररपत्र संख्या 88-4जीएस-11-66/9554, हदनांक 21 अप्रैि, 1966 के पैरा 19(बी) में। कफर यह स्वयं उलिख करता है कक यह के वि पवोततू पैरा के स्पष्ट्ीकरण के उद्देश्य से है। . इसके अि्ावा, र्नयम 4 के मौजदाू प्रावधानों पर हमने जो र्नमाि्ण ककया है, उससे यह स्पष्ट्ट है कक कोई भी सरकारी र्नदेश इसके ववपरीत या इसके प्रावधानों को प्रभाववत करने के लिए तैयार नहीं ककया जा सकता है।

11. र्नष्ट्कर्ि के तौर पर, शरुआतु में पछू े गए प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होना ि्ाहहए। मेरा मानना है कक र्नयम 4 (ii) के तहत सैन्य सेवा का ि्ाभ एक पविू सर्ै नक को परीू तरह से अिग साविजर्नक सवे ा में उसकी दसरीू या बाद की र्नयक्ततु पर उपिब्ध है।

12. उपरोतत को ध्यान में रखते हुए, वतिमान ररट याचिका को स्वीकार ककया जाता है। अनबंधु पी. 1 को रद्द कर हदया गया है और प्रर्तवादी-राज्य को उपरोतत हटप्पखणयों के आिोक में याचिकाकताि की सैन्य सेवा का ि◌ाभ देकर उसकी वररष्ठता तय करने का र्नदेश हदया गया है

। ि◌ागत के रूप में कोई ऑडरि नहीं होगा।

न्यायमर्तूि आरएन लमत्ति,- मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय केवल वादकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह इसे अपनी भाषा में समझ सके और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी न्यायिक और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए मान्य होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

हिमानी सागर

प्रशिक्षित न्याय अधिकारी, हरियाणा